



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या: 13-अ०प्र०(2अ)/पाकालि/2018

दिनांक 23 फरवरी, 2018

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन कार्यहित में एतद्वारा निम्नांकित अधीक्षण अभियन्ता, (वै० एवं या०) को मुख्य अभियन्ता, स्तर-2 (वै० एवं या०) के पद पर प्रोन्नत किया जाता है तथा स्तम्भ सं०-3 में उल्लिखित कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित कर स्तम्भ संख्या-04 में उल्लिखित कार्यालय/निगम में तैनात/आवण्टित किया जाता है। उक्त अभियन्ता कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मुख्य अभियन्ता, स्तर-2 (वै० एवं या०) के पद पर नियुक्त होंगे :-

क्र० सं०	नाम/अभिज्ञान सं० गृह जनपद/से०नि० की तिथि	वर्तमान पदनाम एवं तैनाती का कार्यालय/निगम	प्रोन्नति पश्चात पदनाम एवं तैनाती का कार्यालय/आवण्टित निगम
1	2	3	4
1	श्री अरविन्द मित्तल/86163/मेरठ/31.05.2020	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत पारेषण मण्डल, ट्रान्सको, बांदा	मुख्य अभियन्ता, स्तर-2 (सम्बद्ध), निदेशक (कारपोरेट प्लानिंग) उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ
2	श्री विनोद कुमार अस्थाना/86164/कानपुर/31.07.2022	अधीक्षण अभियन्ता, सम्बद्ध, मुख्य अभियन्ता, ऊर्जा कय अनुबन्ध, पाकालि, लखनऊ	मुख्य अभियन्ता, स्तर-2 (सम्बद्ध), निदेशक (कारपोरेट प्लानिंग) उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ
3	श्री अंशुमान (अ०पि०व०)/86165/वाराणसी/31.07.2022	अधीक्षण अभियन्ता, सम्बद्ध, कार्यालय मुख्य अभियन्ता, स्तर-2, (सम्बद्ध), मा० ऊर्जा मंत्री, उ०प्र० शासन, शक्ति भवन, लखनऊ	मुख्य अभियन्ता, स्तर-2 (सम्बद्ध), मा० ऊर्जा मंत्री, उ०प्र० सरकार शक्ति भवन, लखनऊ
4	श्रीमती वरालिका दुबे/86167/फैजाबाद/30.06.2021	अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन, पाकालि, लखनऊ	मुख्य अभियन्ता, स्तर-2 (सम्बद्ध), निदेशक (कारपोरेट प्लानिंग) उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ

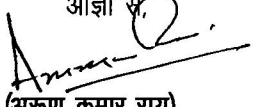
- उपरोक्त अभियन्ता को मुख्य अभियन्ता, स्तर-2, (वै० एवं या०) के पद पर इस प्रतिबन्ध के साथ प्रोन्नत किया जा रहा है कि किन्हीं कारणवश निदेशक के पद पर नियुक्त पाकालि संवर्ग के अभियन्ता अधिकारी की अपने मूल पद पर प्रत्यावर्तित हो जाने की स्थिति में कनिष्ठतम मुख्य अभियन्ता, स्तर-2, स्वतः अधीक्षण अभियन्ता, (वै० एवं या०) के पद पर प्रत्यावर्तित हो जायेंगे।
- उक्त आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21-3-2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।
- उपरोक्त अधिकारी को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए।
- निगम को आवण्टित अधिकारी की तैनाती उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की वर्तमान स्थानान्तरण नीति के अनुरूप सम्बन्धित निगम के प्रबन्ध निदेशक द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
- नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन/पाकालि(06)-2001 दिनांक 11-6-2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 13-अ0प्र0(2अ)/पा0का0लि0/2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मा0 ऊर्जा मंत्री/मा0 उर्जा राज्य मंत्री के निजी सचिव, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, के निजी सचिव/समस्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) के निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. समस्त निदेशक, उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्चल/मध्यान्चल/पूर्वान्चल/पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा/लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/केस्को लिमिटेड, कानपुर के निजी सचिव।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रांसमिशनका0लि0।
7. समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
9. उप सचिव (गोपन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल/नोटिस बोर्ड।

आज्ञा से.

(अरुण कुमार राय)
उप सचिव (2अ)